हसं०सं०–6 / एन०–08–54 / 2012

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना
आदेश

संजीवनी आरोग्य संस्थान, गोविन्दपुर, फतुहा, पटना द्वारा प्रस्तावित संजीवनी आरोग्य संस्थान ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल, फतुहा, पटना का पूर्व निर्गत विभागीय ज्ञापांक–664(6) दिनांक 12.12.2014 के अनुपालन में निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण समिति के अध्यक्ष डा० चन्द्रशेखर नारायण, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–03 दिनांक 16.01.2015 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसके अन्तर्गत कृत अनुशंसा के आलोक में उक्त नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालय को ए०एन०एम० प्रशिक्षण प्राठयक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (2015–17) के लिए निम्न शर्तो पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(क) उक्त संस्थान 6 माह के अन्दर भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली से अपना निरीक्षण करा लेगें।

(ख) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निधारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, पटना समय–समय पर गुणवता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द का दी जायेगी।

(ग) संस्थान द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997, एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी

(ड़) संस्था की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना (ii) सिविल सर्जन, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है। इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/.
(डा० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–सं०सं०–6 / एन०–08–54 / 2012– 784(6) पटना, दिनांक 30/07/2015

प्रतिलिपि :–सचिव, संजीवनी आरोग्य संस्थान, गोविन्दपुर, फतुहा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली / निबंधक, परिचारिका निबंधन परिषद् बिहार, पटना / क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना / सिविल सर्जन, पटना / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।